



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 5, 2008/फाल्गुन 15, 1929

No. 30]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 5, 2008/PHALGUNA 15, 1929

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2008

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. 1-सीए(7)/111/2008.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 (2006 का 9) के द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38) का संशोधन किया गया है ;

और, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् को उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (2) के अधीन प्रैक्टिस के प्रमाण पत्र के लिए संदेय फीस अवधारित करने हेतु सशक्त किया गया है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद्, एतद्वारा, यह अवधारित करती है कि,—

1 अप्रैल, 2008 से किसी सदस्य द्वारा उसके प्रैक्टिस के प्रमाण पत्र के लिए संदेय फीस की राशि केवल एक हजार छह सौ रुपए होगी :

परंतु यह है कि ऐसे किसी सदस्य के लिए, जिसने सुसंगत वर्ष के 1 अप्रैल को 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, ऐसी फीस की राशि एक हजार दो सौ रुपए होगी ।

डॉ. अशोक हल्दिया, सचिव

[विज्ञापन III/IV/104/2007/असा.]

टिप्पण : यह अधिसूचना, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् को उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (2) के अधीन प्रैक्टिस के प्रमाण पत्र के लिए फीस अवधारित करने हेतु सशक्त करते हुए, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 के द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के संशोधन के अनुसरण में जारी की गई है । चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के सुसंगत उपबंधों में पारिणामिक संशोधन किए जा रहे हैं ।

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2008

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 1-CA(7)/111/2008.—Whereas, the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949) has been amended by the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006 (9 of 2006);

And, whereas, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has been empowered to determine, under sub-section (2) of Section 6 of the said Act, the fee payable for a certificate of practice;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by said sub-section (2) of Section 6 of the said Act, the Council hereby determines that,—

with effect from the 1st day of April, 2008, the annual fee payable by a member for his certificate of practice shall be rupees one thousand six hundred only :

Provided that such fee for a member, who has attained the age of 65 years as on the 1st day of April of the relevant year, shall be rupees one thousand two hundred only.

Dr. ASHOK HALDIA, Secy.

[ADVT III/IV/104/2007/Exty.]

Note : This notification is issued pursuant to amendment to Chartered Accountants Act, 1949 by the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006 empowering the Council of the Institute to determine under sub-section (2) of Section 6 of the said Act the fee for certificate of practice. The consequent amendments to the relevant provisions of the Chartered Accountants Regulations, 1988 are underway.